संख्या–32/VI-2/2014–72(1)2014

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2014

विषयः–रामलीला मैदान, पौड़ी में विश्राम कक्ष निर्माण हेतु ₹5.00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3095/सं0नि0उ0/पांच–74/2013–14 दिनांक 08 जनवरी, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–88/XXVii (3) कार्य/2005 दिनांक 05 फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में रामलीला मैदान, पौड़ी में विश्राम कक्ष निर्माण हेतु ₹5.00 लाख (₹पांच लाख) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमादित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। उक्त निर्माण कार्य की सतत् मानीटरिंग सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

6– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

9– एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना में कदापि न किया जाय।

10– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–11, लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिषद/कलाकेन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 32 /VI-2/2014–72(1)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सम्बन्धित संस्था।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।